

प्रभु, श्री 0बी0 सिंह,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

सीतापुर/भदोही/बलरघाट,

उत्तर प्रदेश ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2011-12 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मध्याह्न भोजन योजना-नानागत कुक-कम-हेल्पर (रसीड्या सह सहयोगी) के मानदेय मद की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या-म0म10य10/3270/2011-12, दिनांक 19.10.2011 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कायदा-कृषिगत लागत आदि योजना में प्राथमिकता प्राप्त मध्याह्न भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद सीतापुर, भदोही व बलरघाट के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति के कायदत कुक कम हेल्पर (रसीड्या सह सहयोगी) के मानदेय राशियाँ के रूप में रु0 103.80 लाख (रु0 एक करोड़ तीन लाख अरसी हजार मात्र) केन्द्रांश के रूप में तथा रु0 138.40 लाख (रु0 एक करोड़ अठतीस लाख बालिस हजार मात्र) (केन्द्रांश+राज्यांश) की धनराशि संगत जनपदवार फाट के अनुसार व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित धर्ती/

प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहित वित्त विभाग को प्रदान करते हैं:-

(1)- स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि इससे आदर्श गुणवत्ता आधार सहित का उल्था न हो सके ।

(2)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना कि मध्याह्न भोजन का लाभ वर्ष में मात्र 220 कायद दिवसों तक सीमित रखा जाएगा एवं इसी प्रकार कुक-कम-हेल्पर (रसीड्या सह सहयोगी) की सेवायें वर्ष में केवल 10 माह (दस माह) के लिये ही ली जाएगी ।

(3)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा ।

(4)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एम0सी0एम0पी0/टी0एम0पी0 हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा उपलब्ध केन्द्रांश की सीमा के अन्तर्गत किया जाएगा ।

(5)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों/प्राधान्यों के अन्तर्गत किया जाएगा ।

(6)- स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जाति के निश्चित कुक कम हेल्पर (रसीड्या सह सहयोगी) को मानदेय दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

(7)- संबंधित जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यालयी संस्था होने की दशा में मध्याह्न भोजन निधि में उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि एन0सी0एम0पी0, बडू समिति, महिला समारोह आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में

सम्बन्धित कार्यालयी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खाते में उपलब्ध कराया जाएगा ।

(8)- मध्यान्द भोजन निधि तथा कायादायी संस्था के बैंक खाते से कृक-कम-हेल्पर को मानदंड का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाएगा एवं इस हेतु सम्बन्धित कृक-कम-हेल्पर का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/कन्द द्वारा पुर्वाधारित योजनाय-03-मध्यान्द भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-कृकोग लागत आदि (क.75/स.25-क.स.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नाम से जमा जाएगा ।

यह आदेश विल विभाग के अध्यासकीय संख्या-ई-3-105/दस-2012, दिनांक 01.02.2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहे हैं ।

संलग्नक: यथावत ।

भवदीय,
(बीबीओ सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या-30 (1)/26-8050-2012-तददिनांक
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, वैश्विक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन ।
- 2- भ्रमार्थक, उ०प्र० ।
- 3- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद ।
- 4- निदेशक, मध्यान्द भोजन प्राधिकरण, उ०प्र० लखनऊ ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ०प्र० इलाहाबाद ।
- 6- सचिव, वैश्विक शिक्षा परिषद्, उ०प्र० इलाहाबाद ।
- 7- मध्य कौषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/संबन्धित कौषाधिकारी/वर्षिक कौषाधिकारी, उ०प्र० ।
- 8- मध्य विल आधिकारी, मध्यान्द भोजन प्राधिकरण, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 9- संबन्धित मण्डलीय सहायक डि०नि०ब०, उ०प्र० ।
- 10- संबन्धित जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी/समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/विल एवं लेखाधिकारी, बी०बि०, उ०प्र० ।
- 11- विल (आय-व्ययक) अनुभाग-1/विल (व्य-निर्वाण) अनुभाग-3
- 12- वरिष्ठ शोध आधिकारी, अनुभवण प्रकोष्ठ ।
- 13- गाईकडल ।

आज्ञा से
(बीबीओ सिंह)
संयुक्त सचिव

(को नंबर में)

वर्ग	अवधि/अतिरिक्त	अवधि लिए स्वीकृतियां प्रस्तुत है	अक्टूबर, 2011			कुल	अवयवकता	आधुनिक संख्या-71	संख्या-71	अनुदान	अनुदान	संख्या-71	संख्या-71	कुल	अवयवकता
			रसीदों की संख्या एवं संख्या	आधारित, जो संख्या पर	रसीदों के लक्ष्य अथवा										
1	2		3	4	5	6	7-4-6	8	9						
सीतापुर	आर.2010 सं. 754	60.32	0	0	60.32	45.24	15.08								
भदोही	आर.2011 सं. 1119	44.75	61	3.66	41.1	30.825	10.275								
बुलंदशहर	आर.2011 सं. 1058	42.32	89	5.34	36.98	27.735	9.245								
कुल योग															
					138.4	103.8	34.6								

(बि० सं० 10 सं० संख्या)

